

आइ ए टी ए. / डी जी सी ए द्वारा अनुमोदित

एयर कार्गो प्रबंधन पाठ्यक्रम

खतरनाक माल विनियम (बेसिक - श्रेणी 3,6)

अवधि : 6 दिन

पाठ्यक्रम का उद्देश्य : सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले प्रतिभागी एयरक्राफ्ट द्वारा ढोए जाने के लिए खतरनाक माल को समझाने तथा प्रोसेस करने के कार्य में योग्यता हासिल कर लेंगे। यह पाठ्यक्रम उन्हें निम्नलिखित कार्यों को करने में योग्य करेगा ;

- आयटा खतरनाक माल विनियम लागू करना।
- पोतवाणिक (Shipper's) औट प्रचालक की जिम्मेदारियों के बीच भेद करना ;
- आधारभूत मानदण्ड के द्वारा खतरनाक माल के नौ वर्गों की पहचालन करना ;
- खतरनाक माल की वर्णक्रमानुसार सूची पढ़ना और उसमें निहित जानकारी के अनुसार लागू करना ;
- साधारण पैकिंग आवश्यकताओं और विशेष पैकिंग अनुदेशों को लागू करना अथवा यह सत्यापन करनसा कि उनका पालन किया गया है ;
- खतरनाक माल पैकेज को उचित रूप से चिन्हित करना अथवा यह सत्यापन करना कि क्या चिह्न या लेबल लगाने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है ;
- खतरनाक माल के लिए पोतवाणिक (Shipper's) की घोषणा पूरी करना ;
- एयर वे-बिल पर उपयुक्त जानकारी की उचित रूप से प्रविष्टि करना ;
- उपयुक्त स्थिति और /अथवा परिचालन विचरण (Variations) लागू करना ;
- स्वीकृत जांच सूची का उपयोग करते हुए शिपमेंट्स स्वीकार/नामंजूर करना ;
- क्षतिग्रस्त/रिसाव वाले पैकेज पाए जाने पर आपातकालीन प्रक्रिया का पालन करना।

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु :

- खतरनाक माल विनियमको की उपयुक्तता
- खतरनाक माल में सीमाएं
- खतरनाक माल का वर्गीकरण, पहचान और पैकिंग
- पैकेजिंग विनिर्दिष्टताएं और निष्पादन परीक्षण
- खतरनाक माल को चिन्हित करना, लेबन लगाना और दस्तावेज तैयार करना
- रेडिया-एक्टिव सामग्री
- स्थिति और परिचालक का विचरण (Variations)
- जांच सूची

- प्रशिक्षण की विधि : प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों में व्याख्यान, विषय से संबंधित अध्ययन, समूह में विचार-विमर्श, प्रदर्शन, कार्रवाई अनुकूलित अध्ययन अभ्यास, एसाइन्मेंट और परीक्षण आदि आते हैं। अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सहायक यंत्रों, जिनमें मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण भी शामिल होगा, का पाठ्यक्रम के दौरान उपयोग किया जाएगा।
- पात्रता : कार्गो, कार्गो सुरक्षा/अग्निशमन सुरक्षा विधा के अधिकारी (सहायक प्रबंधक एवं उससे उपर के स्तर के अधिकारी)
- सीटों की संख्या : 20 (बीस)
- पाठ्यक्रम शुल्क : 18,750/- ₹0 प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)
800 यू.एस. डॉलर प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)

यदि कोई संगठन 5 या उससे अधिक प्रतिभागियों को नामांकित करता है,

तो पाठ्यक्रम शुल्क 15, 625/- ₹0 (पन्द्रह हजार छः सौ पच्चीस रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 10 या उससे अधिक लेकिन 15 से कम प्रतिभागियों को नामांकित करता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 13, 125/- ₹0 (तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 20 प्रतिभागियों के पूरे बैच के लिए यह प्रशिक्षण कराना चाहता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 11, 250/- ₹0 (ग्यारह हजार दो सौ पच्चास रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

खतरनाक माल विनियम (पुनश्चर्चा- श्रेणी 3,6)

अवधि : 6 दिन

पाठ्यक्रम का उद्देश्य : सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले प्रतिभागी एयरक्राफ्ट द्वारा ढोए जाने के लिए खतरनाक माल को सम्वालने तथा प्रोसेस करने के कार्य में योग्यता हासिल कर लेंगे । यह पाठ्यक्रम उन्हें निम्नलिखित कार्यों को करने में योग्य करेगा ;

- आयटा खतरनाक माल विनियम लागू करना ।
- पोतवाणिक (Shipper's) औट प्रचालक की जिम्मेदारियों के बीच भेद करना ;
- आधारभूत मानदण्ड के द्वारा खतरनाक माल के नौ वर्गों की पहचालन करना ;
- खतरनाक माल की वर्णक्रमानुसार सूची पढ़ना और उसमें निहित जानकारी के अनुसार लागू करना ;
- साधारण पैकिंग आवश्यकताओं और विशेष पैकिंग अनुदेशों को लागू करना अथवा यह सत्यापन करनसा कि उनका पालन किया गया है ;
- खतरनाक माल पैकेज को उचित रूप से चिन्हित करना अथवा यह सत्यापन करना कि क्या चिह्न या लेबल लगाने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है ;
- खतरनाक माल के लिए पोतवाणिक (Shipper's) की घोषणा पूरी करना ;
- एयर वे-बिल पर उपयुक्त जानकारी की उचित रूप से प्रविष्टि करना ;
- उपयुक्त स्थिति और /अथवा परिचालन विचरण (Variations) लागू करना ;
- स्वीकृत जांच सूची का उपयोग करते हुए शिपमेंट्स स्वीकार/नामंजूर करना ;
- क्षतिग्रस्त/रिसाव वाले पैकेज पाए जाने पर आपातकालीन प्रक्रिया का पालन करना ।

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु :

- खतरनाक माल विनियमको की उपयुक्तता
- खतरनाक माल में सीमाएं
- खतरनाक माल का वर्गीकरण, पहचान और पैकिंग
- पैकेजिंग विनिर्दिष्टताएं और निष्पादन परीक्षण
- खतरनाक माल को चिन्हित करना, लेबन लगाना और दस्तावेज तैयार करना
- रेडिया-एक्टिव सामग्री
- स्थिति और परिचालक का विचरण (Variations)
- जांच सूची

प्रशिक्षण की विधि : प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों में व्याख्यान, विषय से संबंधित अध्ययन, समूह में विचार-विमर्श, प्रदर्शन, कार्रवाई अनुकूलित अध्ययन अभ्यास, एसाइन्मेंट और परीक्षण आदि आते हैं। अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सहायक यंत्रों, जिनमें मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण भी शामिल होगा, का पाठ्यक्रम के दौरान उपयोग किया जाएगा।

पात्रता : कार्गो, कार्गो सुरक्षा/अग्निशमन सुरक्षा विधा के अधिकारी (सहायक प्रबंधक एवं उससे उपर के स्तर के अधिकारी)

प्रवेश मानदण्ड:

- अंग्रेजी लिखने और बोलने में अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- कार्गो परिचालन में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

सीटों की संख्या : 20 (बीस)

पाठ्यक्रम शुल्क : 12,500/- ₹0 प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)
800 यू.एस. डॉलर प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)

यदि कोई संगठन 5 या उससे अधिक प्रतिभागियों को नामांकित करता है,

तो पाठ्यक्रम शुल्क 15, 625/- ₹0 (पन्द्रह हजार छः सौ पच्चीस रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 10 या उससे अधिक लेकिन 15 से कम प्रतिभागियों को नामांकित करता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 13, 125/- ₹0 (तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 20 प्रतिभागियों के पूरे बैच के लिए यह प्रशिक्षण कराना चाहता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 11, 250/- ₹0 (ग्यारह हजार दो सौ पच्चास रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

खतरनाक माल विनियम (बेसिक - श्रेणी 3,6)

अवधि : 4 दिन

पाठ्यक्रम का उद्देश्य : यह पाठ्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जो इकाओ और आयटा के लिए लागू खतरनाक माल विनियम के अनुसार खतरनाक माल को सम्हालते और शिपमेंट प्रक्रिया को परा करते हैं । सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लने वाले प्रतिभागी एयरक्राफ्ट द्वारा वहन करने के लिए खतरनाक माल को सम्हालने में सक्षम हो जायेंगे । यह पाठ्यक्रम उन्हें निम्नलिखित कार्यों को करने में योग्य करेगा ;

- आयटा खतरनाक माल विनियम लागू करना ।

पोतवाणिक (Shipper's) औट प्रचालक की जिम्मेदारियों के बीच भेद करना ;

- आधारभूत मानदण्ड के द्वारा खतरनाक माल के नौ वर्गों की पहचालन करना ;
- खतरनाक माल की वर्णक्रमानुसार सूची पढ़ना और उसमें निहित जानकारी के अनुसार लागू करना ;
- साधारण पैकिंग आवश्यकताओं और विशेष पैकिंग अनुदेशों को लागू करना अथवा यह सत्यापन करनसा कि उनका पालन किया गया है ;
- खतरनाक माल पैकेज को उचित रूप से चिन्हित करना अथवा यह सत्यापन करना कि क्या चिह्न या लेबल लगाने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है ;
- खतरनाक माल के लिए पोतवाणिक (Shipper's) की घोषणा पूरी करना ;
- एयर वे-बिल पर उपयुक्त जानकारी को उचित रूप से प्रविष्टि करना ;
- उपयुक्त स्थिति और /अथवा परिचालन विचरण (Variations) लागू करना ;
- स्वीकृत जांच सूची का उपयोग करते हुए शिपमेंट्स स्वीकार/नामंजूर करना ;
- क्षतिग्रस्त/रिसाव वाले पैकेज पाए जाने पर आपातकालीन प्रक्रिया का पालन करना ।

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु :

- खतरनाक माल विनियमकों की उपयुक्तता
- खतरनाक माल में सीमाएं
- खतरनाक माल का वर्गीकरण, पहचान और पैकिंग
- पैकेजिंग विनिर्दिष्टताएं और निष्पादन परीक्षण
- खतरनाक माल को चिन्हित करना, लेबन लगाना और दस्तावेज तैयार करना
- रेडिया-एक्टिव सामग्री
- स्थिति और परिचालक का विचरण (Variations)
- जांच सूची

प्रशिक्षण की विधि : प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों में व्याख्यान, विषय से संबंधित अध्ययन, समूह में विचार-विमर्श, प्रदर्शन, कार्रवाई अनुकूलित अध्ययन अभ्यास, एसाइन्मेंट और परीक्षण आदि आते हैं। अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सहायक यंत्रों, जिनमें मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण भी शामिल होगा, का पाठ्यक्रम के दौरान उपयोग किया जाएगा।

पात्रता : कार्गो, कार्गो सुरक्षा/अग्निशमन सुरक्षा विधा के अधिकारी (सहायक प्रबंधक एवं उससे उपर के स्तर के अधिकारी)

प्रवेश मानदण्ड:

- अंग्रेजी लिखने और बोलने में अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- डी.जी.आर. पर बेसिक पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया होना चाहिए।

सीटों की संख्या : 20 (बीस)

पाठ्यक्रम शुल्क : 10,500/- ₹0 प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)
800 यू.एस. डॉलर प्रति व्यक्ति (गैर-आवासीय)

यदि कोई संगठन 5 या उससे अधिक प्रतिभागियों को नामांकित करता है,

तो पाठ्यक्रम शुल्क 10,000/- ₹0 (दस हजार छः सौ पच्चीस रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 10 या उससे अधिक लेकिन 15 से कम प्रतिभागियों को नामांकित करता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 8,750/- ₹0 (आठ हजार सात सौ पचास रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

यदि कोई संगठन 20 प्रतिभागियों के पूरे बैच के लिए यह प्रशिक्षण कराना चाहता है, तो पाठ्यक्रम शुल्क 7,500/- ₹0 (सात हजार पांच सौ रुपए केवल) प्रति प्रतिभागी होगा।

कार्गो अभिमुखी/प्रबंधन कार्यक्रम

अवधि : 5 दिन

पाठ्यक्रम का उद्देश्य : सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले प्रतिभागियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमाशुल्क विनियमों के अनुसार एयर कार्गो सहालने तथा उसकी आगे की कार्यवाही करने में समर्थ बनाना ।

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु :

- वैश्विक और भारतीय एयर कार्गो वातावरण
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिरक्षक (Custodian) के रूप में और एयरपोर्ट पर कार्गो प्रबंधन के रूप में भूमिका
- विनियामक निकायों की भूमिका
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्रक्रिया की अपेक्षा
- आयात/टीपी कार्गो हैडलिंग प्रक्रिया और डाक्यूमेंटेशन
- निर्यात कार्गो हैडलिंग प्रक्रिया और डाक्यूमेंटेशन
- विमान की कार्गो क्षमता
- यूएलडी/यूनिटाइजेशन के प्रकार
- मास्टर एयर-वे बिल/वहन के लिए संविदागत दायित्व
- पुराने कार्गो की नीलामी/निपटान
- कार्गो का समेकन और उसका महत्व
- विशेष कार्गो हैडलिंग
- प्रभावी भण्डारण प्रबंध
- कार्गो की सुरक्षा एवं संरक्षा
- कार्गो लेखा विधि प्रक्रिया/दर/प्रभार
- मल्टी-मोडल कार्गो प्रचालन प्रणाली
- कार्गो परिचालन में ईडीआई प्रणाली
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो राजपत्र अधिसूचना
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अधित्यन (waiver) नीति और शक्ति का प्रत्यायोजन (Delegation of Power)
- कार्गो हैडलिंग परिचालन का भविष्य
- बीमा/दावा निस्तारण प्रक्रिया
- विदेशी व्यापार में बैंकिंग प्रणाली
- सम्प्रेषण/अन्तर-व्यक्ति कुशलता
- टीम बनाना / अधीनस्थ विकास एवं प्रेरणा देना
- ग्राहक देखभाल करना

प्रशिक्षण की विधि :

प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों में व्याख्यान, विषय से संबंधित

अध्ययन, समूह में विचार-विमर्श, प्रदर्शन, कार्रवाई अनुकूलित अध्ययन अभ्यास, एसाइन्मेंट और परीक्षण आदि आते हैं । अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सहायक यंत्रों, जिनमें मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण भी शामिल होगा, का पाठ्यक्रम के दौरान उपयोग किया जाएगा।

पात्रता : कार्गो विधा के अधिकारी

प्रवेश मानदण्ड : • अंग्रेजी लिखने और बोलने में अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ।

सीटों की संख्या : 25

पाठ्यक्रम शुल्क : 17,500/- रु0 प्रति व्यक्ति